न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व अपील संख्या 04/2016

रतनलाल पुत्र श्री छगनलाल उर्फ हरदेव जी जाट जाति जाट निवासी ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् ग्रामसेवक पदेन सचिव महादेय, ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्रीमान् सरपंच महादेय, ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 27.06.2017

अपीलार्थी इस अपील में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा शिखरानी द्वितीय एवं मौजा मोखमपुरा पटवार हल्का शिखरानी प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित शिखरानी द्वितीय खसरा न0 2442 रक्बा 01–2–0, 2514 रक्बा 4–16–0 व 2515 रक्बा 05.05.00 कुल किता 3 रक्बा 11–03–00 व मौजा मोखमपुरा स्थित खसरा न0 214 रक्बा 14–13–00 बीघा भूमियां इस अपील में वाद ग्रस्त सम्बोधित की जानी है।

उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमिया प्राथी/ अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमियां है जिसमें जमाबंदी अनुसार प्रार्थी का हक व हिस्सा निहीत चला आता है। वाद ग्रस्त भूमियों में प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के परिवार के जस्सूदेवी, सोहनीदेवी, गुलाबदेवी, समतादेवी, जगदीश, जमनी उर्फ गलकू सहित अन्य हिस्सेदार है। जिसमें से जस्सूदेवी, सोहनीदेवी, गुलाबदेवी, समतादेवी पुत्रीया हरदेव जगदीश पुत्र छगनालाल जमनी उर्फ गलकू पुत्री बालू ने वादग्रस्त भूमियों में से अपना हक व हिस्सा प्रार्थी/अपीलार्थी के हक में त्याग कर दिया इतना ही नही दिनांक 15.12.2015 को प्रार्थी/ अपीलार्थी के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र निष्पादित कर दिया है।

अपील पर बहस उभय पक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत को विना किसी आधार पर नामान्तकरण खारिज करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी अपीलार्थी के हक में जस्सू, सोहनी, गुलाब, समता पुत्रिया हरदेव जगदीश पिता छगनलाल, गलकू(जमनी) पुत्री बालू कौम जाट निवासी जालिया द्वितीय ने अपना हक त्याग दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

15.12.2015 को निष्पादित हक त्याग पत्र से पूर्णत सहमत है। तथा अपीलार्थी रतनलाल पिता छगनलाल, उर्फ हरदेव कौम जाट निवासी जालिया के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय/ आदेश दस्तावेजी साक्ष्य के संतुलन के विपरीत एवं विधिक तथा प्रतिपादित न्याय सिद्वांतों के प्रतिकूल होकर न्याय सगत नही है और ना ही नैसर्गिक न्यायसिद्वांतों के अनुकूल है। अतः किसी भी रूप में कायम रहने योग्य नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में समुचित विवेचन आदि नही किया गया है अतः आलोच्य नामान्तकरण 319 एवं 990 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित खारिजी आदेश दिनांक 6.06.2016 अपास्त किये जावे तथा अप्रार्थीगण स0 1 से 3 को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि हक त्याग की रूह से पुनः नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में विवादित आराजियात अपीलार्थी के नाम लगाई जावे।

अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2016 अपास्त फर्माए तथा विवादित आराजी में मेरा नाम बहैसियत खोतदार लगवाया जावे उपस्थित पैरोकार प्रत्यर्थी स0 3 व प्रत्यर्थी स0 1 व 2 ने कोई तर्क पेश नही किये।

मैने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपील अपीलार्थी आशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम मौखमपुरा का नामान्तकरण स0 319 दिनांक 06.06.2016 व ग्राम शिखरानी द्वितीय का नामान्तकरण स0 990 दिनांक 06.06.2016 अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम मौखमपुरा की जमाबंदी 2070–73 के खाता स0 40 व ग्राम शिखरानी की जमाबंदी 2069–72 के खाता स0 386 को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आराजी में हिस्सेनुसार अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण स्वीकार करावे।

आदेश आज दिनांक 27.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 15:38:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: